न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–548 / 2026
मोकामा थाना संख्या–378 / 2025
अंतर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 109(1), 352, 351(2), 3(5) बीएनएस

22.06.2026

याचिकाकर्ता 1. वीर कुमार उर्फ वीरो कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दिनांक 30.05.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र कुमार सिन्हा तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि, अंतर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 109(1), 352, 351(2), 3(5) बीएनएस से संबंधित मोकामा थाना कांड संख्या–378 / 2025, दिनांक 24.09.2025, के नामित अभियुक्त हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष हैं, इन्हें इस केस में गलत फंसाया गया है। सूचक ने गलत उद्देश्य से आवेदक को इस केस में अभियुक्त बनाया है। घटना का कोई–भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्राथमिकी दर्ज करवाने में भी विलंब हुआ है लेकिन विलंब का कारण सूचक के द्वारा नहीं बताया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई–भी विशिष्ट आरोप नहीं है। अंतपरीक्षण रिपोर्ट भी घटना का समर्थन नहीं करता है। ग्रामीण राजनीति के कारण एवं पूर्व दुश्मनी के कारण सूचक के द्वारा आवेदक को एवं उनके पूरे परिवार वालों को इस केस में फंसाया गया है। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुए कहते हैं कि, इस कांड के जख्मी–उमेश राय की मृत्यु ईलाज के क्रम में हो गई है। चिकित्सक के द्वारा यह पाया गया कि, लाठी–डंडा और रड से बुरी तरह मारने के कारण जख्मी–उमेश राय की मृत्यु हो गई है। अतः, जमानत आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन घटना संक्षेप में यह है कि, सूचक–मनीष कुमार के पिता–उमेश राय दिनांक–24.09.2025 को शाम चार बजे घास लाने हेतु महादेव स्थान, मेकरा गए, वहां एक समूह बनाकर उमेश राय को ललन कुमार, नवीन कुमार, लक्ष्मण कुमार, बिट्टू कुमार, हीरा कुमार, भोला कुमार, संजय राय, दिनेश राय, अजय कुमार, सुलेन्द्र राय तथा वीरो राय मिलकर अपने–अपने हाथ में लिए लाठी–डंडा एवं लोहे के रड तथा क्रिकेट खेलने वाले बैट से हमला कर दिए, जिससे उमेश राय बुरी तरह जख्मी हो गए और उनका सिर फट गया, इसके बाद सभी मुदालय उठाकर उमेश राय को 'गंगा के अट पर पानी में फेंक' कर भाग गए। वहां उपस्थित लोगों ने इसकी सूचना सूचक एवं उनके परिवार वाले को दिए। जब, वे गंगा किनारे पहुंचे तो सूचक के

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–548 / 2026
मोकामा थाना संख्या–378 / 2025
अंतर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 109(1), 352, 351(2), 3(5) बीएनएस
लगातार

22.06.2026

पिता जख्मी हालत में मिले, जिसे रेफरल अस्पताल, मोकामा लाया गया, जिसे बेहतर ईलाज–हेतु N.M.C.H., Patna रेफर कर दिए। घटना के एक दिन पूर्व चंदन कुमार को भी उन लोगों द्वारा मार–पीट किया गया था, जिसका आवेदन थाने में दिया जा चुका है।

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, कांड दैनिकी के कंडिका–2 में वादी ने अपने पुनः, ब्यान में घटना का समर्थन किया है। कंडिका–6 में साक्षी–पप्पु राय का कहना है कि, अभियुक्तगण के द्वारा उमेश राय के साथ मार–पीट किया गया था, जिसे बेहतर ईलाज–हेतु पटना, N.M.C.H. रेफर किया गया, जहां उमेश राय की मौत हो गई। यह पुरानी रंजिश को लेकर किया गया। इसी प्रकार कंडिका–7 में साक्षी–सुनीता देवी ने भी घटना का समर्थन किया है तथा उनका कहना है कि, इस मार–पीट के कारण उमेश राय की मृत्यु हो चुकी है। कांड दैनिकी के साथ मृतक–उमेश राय की मृत्यु समीक्षा–रिपोर्ट संलग्न है। कांड दैनिकी के कंडिका–44 के अनुसार, आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा–103 बीएनएस जोड़ने हेतु आवेदन दिया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका–69, 70, 71 एवं 72 में भी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। जख्म– प्रतिवेदन में मृत्यु का कारण लाठी–डंडा एवं रड से मार–पीट करने का कारण बताया गया है। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं तथा इन पर एक राय होकर मार–पीट करने का आरोप है, जिसके कारण जख्मी–उमेश राय की मृत्यु हो गई है।

उपरोक्त विवेचनाओं से स्पष्ट होता है कि, आवेदक अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी–डंडा एवं रड से मृतक को बुरी तरह मार–पीट किया और उमेश राय को 'गंगा नदी के किनारे पानी में, जख्मी हालत में फेंक' दिया गया, जिससे ईलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–1. वीर कुमार उर्फ वीरो कुमार को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़